जिला लोक शिक्षा समिति करौली

क्रमांक : साभाम / करौ. / लेखा / 2011 दिनांक :

<u>निविदा–सूचना सं.–01 / 2011</u>

साक्षर भारत कार्यक्रम 2012 के अन्तर्गत करौली जिले में निरक्षरों को साक्षर करने हेतु टीचिंग मैटैरियल किट (पेन्सिल, रबर, कटर, कॉपी, स्लेट एवं बरता पैकिट) क्रय बाबत् एक वर्ष हेतु दर संविदा करने के लिए पंजीकृत फर्मो से मोहर बन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	सामग्री का नाम	अनुमानित मात्रा	अनुमानित लागत	बयाना राशि
1	टीचिंग मैटैरियल किट प्रति किट (1 पेन्सिल, 1 रबर, 1 कटर, 1 कॉपी, 1 स्लेट, 1 बरता पैकिट,) कार्यालय में उपलब्ध स्पेसीफिकेशन के अनुसार	52250 किट	रू0 15,50,000 / –	रू0 31000

निविदा प्रपत्र कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी करौली से दिनांक 25.7.2011, सांय 6:00 बजे, तक रू0 400 / – जमा करवाकर प्राप्त किए जा सकते हैं।

सील बन्द निविदाऐ दिनांक 26.7.2011, दोपहर 2:00 बजे, तक स्वीकार की जावेगी। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन दोपहर 3 बजे तक उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।

निविदा की शर्ते, विस्तृत जानकारी एवं सामग्री का स्पेसीफिकेशन कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत् शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय में आकर देखा जा सकता है। संविदा का अन्य विवरण D.I.P.R की बेव साइट www.dipronline.org पर देखा जा सकता है

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सचिव
जिला लोक शिक्षा समिति
करौली

कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति, करौली

<u>शिक्षण सामग्री आपूर्ति के लिए वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पूरा पता

....

....

2 किसको सम्बोधित किया गया है – सचिव जिला लोक शिक्षा समिति, करौली

3 संदर्भ :– निविदा सूचना संख्या 01/2011

4 निविदा शुल्क की राशि का विवरण :–

दिनांक	राशि	जमा करने का प्रकार /बैंकर चैक/ड्राफ्ट / संख्या एवं दिनांक

5. मैं/ हम जिला लोक शिक्षा समिति करौली द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तों एवं संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से वाध्य होना स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।

6. फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने के दिनांक से 30 दिवस की अवधि की भीतर माल की सुपुर्दगी करदी जावेगी।

7. निम्नलिखित मदो की लिए सप्लाई के लिए दरें निम्न प्रकार होंगी तथा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की मात्रा उनमें प्रत्येक के सामने अंकित की गई है।

क्र.सं.	वस्तु का नाम मय विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन)	कुल सप्लाई की जाने वाली मात्रा	दर प्रति किट	वि0वि0
	टीचिंग मैटेरियल किट प्रति किट (1 पेन्सिल, 1 रबर, 1 कटर, 1 कॉपी, 1स्लेट, 1 बरता पैकिट) कार्यालय में उपलब्ध स्पेसीफिकेशन के अनुसार रबर–नटराज, पेन्सिल–नटराज एच.बी. कटर (शार्पनर) नटराज, बरता पैकिट– 15 बरता प्रति पैकिट, प्राकृतिक पत्थर से निर्मित साईज लम्बाई 2 इन्च से 3 इन्च, बजन 80 ग्राम	52250 किट		

8 उपर उद्धृत की गई दरें 1 वर्ष तक के लिए विधि मान्य है। इस अवधि को पारस्पारिक सहमति के आधार पर बढाया जा सकेगा।

9 2 प्रतिशत वयाना राशि बैंक ड्राफ्ट /बैंकर चैक संख्या..जो (बैंक का नाम) पर आहरित किया गया है। बयाना राशि के पेटे से संलग्न किया जाता है।

10 इनके साथ बिक्रीकर पंजीयन एवं बिक्रीकर चुकती प्रमाण पत्र संलग्न किये जाते है।

11 विनिर्माता /डीलर आदि का घोषणा पत्र भी संलग्न किया जाता है।

हस्ताक्षर निविदा दाता

कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति, करौली

टीचिंग मैटेरियल किट आपूर्ति के लिए तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	फर्म का नाम व पता	
2	फर्म / कम्पनी का रजिस्ट्रेशन	
3	पूर्व में किये राजकीय / विशिष्टि कार्यो का विवरण (आदेश संलग्न करें)	
4	निविदादाता द्वारा संलग्न प्रारूप में घोषणा	
5	फर्म/कम्पनी का आयकर पेन नम्बर	
6	बिक्री कर चुकती प्रमाण पत्र संलग्न करे	
7	अन्य कोई रजिस्ट्रेशन	
8	बयाना राशि (Earnest Money)	
9	नाम सामग्री मय स्पेसीफिकेशन	टीचिंग मैटैरियल किट (1 पेन्सिल, 1 रबर, 1 कटर, 1 कॉपी, 1 स्लेट, 1 बरता पैकिट) कार्यालय में उपलब्ध स्पेसीफिकेशन के अनुसार

हस्ताक्षर निविदा दाता

<u>निविदादाताओं द्वारा घोषणा</u>

मै/ हम घोषणा करता हूं/करते है कि मैने /हमने जिन मालो /स्टोर्स /उपकरणों / के लिए निविदा दी है उनका /उनके मैं /हम बोनाफाईड विनिर्माता/ थोक विक्रता/सोल वितरक /प्राधिकृत डीलर/सोल सैलिंग /विपणन एजेंट है ।

यदि ये घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी /हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जाएगा, तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्ध कर दिया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय जिला लोक शिक्षा समिति, करौली

निविदा एवं संविदा की शर्ते

टिप्पणी :– निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. निविदाओं को निविदा सूचना में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप से मोहरबन्द लिफाफे में बंद करना चाहिए।

2. वास्तविक डीलरों द्वारा निविदाऐं :– निविदाऐं मालों के वास्तविक डीलरो द्वारा ही दी जायेगी। अतः वे एस.आर. प्रारूप में एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे।

3. फर्म आदि के गठन में किसी भी परिर्वतन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में निविदादाताओं द्वारा दी जावेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेग। संविदा के सम्बन्ध में फर्म में किसी भी नये भागीदार /भागीदारों को निविदा दाता द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिए बाध्य नही हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस सम्बन्ध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए निविदादाता की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गई किसी भागीदार की रसीद उन सबको बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।

4. बिक्रीकर पंजीयन एवं शोधन प्रमाण पत्र – कोई भी डीलर जहॉ उसका व्यवसाय स्थित है यदि राज्य में प्रचलित बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह निविदा नही देगा। बिक्रीकर पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा सम्बन्धित सर्किल के वाणिज्यक कर अधिकारी से बिक्रीकर शोधन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा तथा इसके बिना निविदा को रद्द कर दिया जावेगा।

5. निविदा प्ररूप स्याही/टंकण से भरा जावेगा :– पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नहीकिया जावेगा। निविदादाता निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तो को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।

6. दरें शब्दो एवं अंको दोनों में लिखी जावेगी इसमें कोई त्रुटियॉ या उपरिलेखन नही होना चाहिए यदि कोई शुद्धियॉ करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं दिनांक सहित उन पर लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए। दरो में राजस्थान बिक्री कर एवं केन्द्रीय बिक्रीकरों की राशि को पृथक से दिखाना चाहिए।

7. दरे गन्तव्य स्थान तक एफ0ओ0आर0 उद्धत की जानी चाहिए तथा उसमे सभी आनुषंगिक प्रभारो को शामिल करना चाहिए किन्तु चुंगीकर, केन्द्रीय / राजस्थान बिक्रीकर को शामिल नही करके इन्हे अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायो के मामले में दरो में समस्त करो आदि को शामिल करना चाहिए तथा सरकार द्वारा कोई गाडी भाडा या परिवहन प्रभारो का भुगतान नही किया जावेगा तथा माल की सुपुर्दगी क्रेता अधिकारी के परिसरो पर दी जावेगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयो

के उपयोग के लिए होते है इन पर चुंगी कर का भुगतान नही किया जाता है। अतः इन दरो में चुंगी कर एवं स्थानीय करो आदि को शामिल नही किया जाना चाहिए यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के है तो इन दरो में चुंगी कर एवं स्थानीय करों को शामिल किया जावेगा। पूर्व की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र सप्लाई आदेश के साथ प्रस्तुत किया जावेगा।

8. दरो की तुलना :– राजस्थान के बाहर की फर्मो द्वारा तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो द्वारा, जो नियमो के अन्तर्गत मूल्य अधिमान के लिए अधिकृत नही है, निविदत्त दरो की तुलना करने में , राजस्थान बिक्री कर की राशि शामिल नही किया जाएगा जबकि केन्द्रीय बिक्री कर को इसमे शामिल किया जावेगा। राजस्थान के भीतर की फर्मो के सम्बन्ध में दरो की तुलना करते समय राजस्थान बिक्री कर राशि को शामिल किया जायेगा।

9. मूल्य अधिमान :– राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालो को राजस्थान के बाहर लघु एवं कुटीर उद्योग द्वारा, राजस्थान में तथा राजस्थान के बाहर के वृहद एवं मध्यम उद्योगो द्वारा विनिर्मित या उत्पादित माल पर भण्डार क्रय (कुटीर एवं लघु उद्योग को अधिमान) नियम, 1966 के अन्तर्गत मूल्य अधिमान दिया जायेगा। राजस्थान के वृहद एवं मध्यम उद्योगो द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालो को भी राजस्थान के बाहर उत्पादित या विनिर्मित या विदेश से आयातित मालो पर भण्डार क्रय (वृहद एवं मध्यम उद्योगो को अधिमान) नियम, 1966 के अन्तर्गत मूल्य अधिमान दिया जाएगा।

10. विधि मान्यता :– निविदाऐं, उनके खोले, जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

11. अनुमोदित प्रदायकर्ता (सप्लायर) के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय की जाने वाली वस्तुओं की दशा, स्पेसीफिकेशन, साईज, मेक एवं ड्राइंग आदि के आशय के बारे में कोई संदेह हो, तो वह संविदा पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

12. निविदादाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नही सौपेगा या उप भाडे (सब लैट) पर नही देगा।

13. विशेष विवरण (स्पेसीफिकेशन) :–

। प्रदाय की गयी सभी वस्तुऐं निविदा में निर्धारित स्पेसीफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होंगी तथा जहॉ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसीफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदो को पूर्ण रूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

।। वारन्टी एवं गारन्टी का खण्ड :– निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुऐं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स /वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता की अनुरूप बनी

रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों /स्टोर्स /वस्तुओं का निरीक्षण कर लिया हो एवं / या उन्हें अनुमोदित कर दिया हो, यदि 5 वर्षो की उक्त अवधि में उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गऐ है (तथा इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम व परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स /वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएगें, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किए जाने पर माल/स्टोर्स /वस्तुऐं विक्रेता की जोखिम पर होगी, तथा माल आदि को रद्द करने से सम्बन्धित समस्त उपबन्ध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमे दी गई कोई भी वात से क्रेता अधिकार के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नही डालेगा।

14. निरीक्षण :-

I क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त उचित समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा वह विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाएगा, किसी भी समय मालों /उपकरणों /मशीनों की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जॉच करने की शक्ति रखेगा।

II निविदादाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशाप का जहॉ पर निरीक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरों के मामलें मे जो व्यवसाय में नऐं रूप में प्रविष्ट हुए है, उन्हें बैकर्स से एक परिचय-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

15. सप्लाई जब भी प्राप्त की जाएगी उनका निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वे स्पेसीफिकेशन्स या अनुमोदित नमूनों के अनुरूप है। जहॉ आवश्यक हो या विहित किया गया हो या व्यावहारिक हो, वहां परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं, प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों जैंसे श्री राम टेस्टिंग हाउस, नई दिल्ली एवं तत्समान परीक्षण गृहों में कराया जाएगा तथा जहां पर सप्लाई किया गया सामान इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप विहित स्पेसीफिकेशन्स के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा, उन्हें स्वीकार किया जाएगा।

16. सैम्पुल निकालना :- परीक्षणों के मामलों में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सैटों में सैम्पल लिए जाऐगें तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्ध किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा, तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

17. रद्द करना :–

। निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो वस्तुऐं अनुमोदित नही की जाएगी उन्हें रद्द किया जाएगा तथा निविदा दाता द्वारा उन्हें क्रेता अधिकारी द्वारा निश्चित किए गए समय के भीतर अपनी स्वयं की लागत पर बदला जाएगा।

।। तथापि , यदि सरकारी कार्य की तत्कालिक आवश्यकता के कारण, पूर्व या आंशिक रूप में उन वस्तुओं को बदलना साध्य नही समझा जाए, तो क्रेता अधिकारी निविदा दाता को सुनवाई किए जाने का एक उचित अवसर देकर, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाऐंगें, अनुमोदित दरों में से उपयुक्त राशि की कटौती करेगा। इस प्रकार की गयी कटौती अंतिम होगी।

18. रद्द की गयी वस्तुओं को निविदा दाता उन्हें रद्द करने की सूचना प्राप्त करने से 15 दिन के भीतर हटा लेगा, इसके बाद क्रेता अधिकारी किसी भी प्रकार की हानि, कमी या क्षति के लिए उत्तरदायी नही होगा तथा उसे निविदादाता की जोखिम एवं उसके लेखे पर उन वस्तुओं को जिन्हें वह उचित समझें, बेचने का अधिकार होगा।

19. रद्द करना :– परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता हो कि सप्लाई किया गया सामान विहित स्तरों या स्पेसीफिकेशन्स के अनुसार नही है, तो परीक्षण प्रभार निविदादाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

20. निविदा दाता उचित पैकिंग करने के लिए उत्तरदायी होगा ताकि समुद्र, रेल, सडक या वायुयान द्वारा परिवहन की सामान्य स्थिति में उनमें कोई क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल प्राप्तकर्ता को माल की सुपुर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूट–फूट या रिसाव (लीकेज) या किसी कमी के होने के मामले में, निविदा दाता माल प्राप्तकर्ता द्वारा उन सामग्रियो की जांच /निरीक्षण किए जाने पर पायी गयी ऐसी हानि एवं कमी की पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाऐगी।

21. प्रदाय हेतु संविदा को, यदि माल की सप्लाई क्रेता अधिकारी की सन्तुष्टि के अनुसार नही की जाती है, तो निविदा दाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद क्रेता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

22. निविदा दाता का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

23. । सुपुर्दगी अवधि :– निविदा दाता जिसकी निविदा स्वीकार की जाएगी, वह सप्लाई आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर तक सामान की सप्लाई करने की व्यवस्था करेगा यदि सुपुर्दगी अवधि में सुपुर्दगी नही देने पर जी.एफ.फण्ड.आर. के नियमानुसार भुगतान की जाने वाली राशि में से कटौती की जावेगी।

24. ।। मात्रा की सीमा – आदेश को फिर से देना :– यदि निविदा सूचना में दर्शित मात्रा से अधिक के लिए आदेश दिया जाता है, तो निविदा दाता अपेक्षित सप्लाई की पूर्ति

करने के लिए बाध्य होगा। पुनः आदेश भी निविदा में दी गयी शर्तो पर दिए जा सकेगे। परन्तु शर्त यह कि ऐसे पुनरादेश मूल रूप में खरीदी गयी मात्रा की 50 प्रतिशत तक की सप्लाई के लिए ही होगें तथा ऐसे आदेश देने की अवधि अन्तिम माल प्रदाय करने की दिनांक से एक माह से अधिक बाद की नही होगी। यदि निविदा दाता, ऐसी सप्लाई करने में असमर्थ रहता है तो क्रेता अधिकारी अवशेष सामान की सप्लाई की व्यवस्था सीमित निविदा द्वारा या अन्यथा प्रकार से करने के लिए स्वंतत्र होगा तथा जो भी अतिरिक्त लागत व्यय की जाएगी उसकी निविदा दाता से वसूली की जाएगी।

।।। यदि क्रेता अधिकारी किन्ही निविदत्त वस्तुओं की खरीद नही करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने के लिए अधिकृत नही होगा।

25. बयाना राशि (अर्नेस्ट मनी) :–

(क) निविदा के साथ अनुमानित लागत की 2 प्रतिशत (रू0 31000/–) बयाना राशि प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नही किया जाएगा।

(।) यह राशि बैंकर चैक या ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार होगी।

(ख) बयाना राशि का प्रतिदाय :– असफल निविदा दाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथाशक्य शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) बयाना राशि से छूट :– उन फर्मो को जो फर्मे निदेशक, उद्योग विभाग एवं राजस्थान के पास पंजीकृत है। उन मदों के सम्बन्ध में जिनके लिए वह उस रूप में पंजीकृत है, उनके द्वारा मूल पंजीयन प्रमाण पत्र या उसकी फोटोस्टेट प्रति या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा विध्विवत अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने पर, निविदांए आमंत्रित करने की सूचना में दिखाए गए निविदा के अनुमानित मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर पर बयाना राशि जमा करानी होगी।

(घ) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान के उपक्रमों को कोई बयाना राशि प्रस्तुत करने की आवश्यकता नही है।

(ड.) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग / कार्यालय के पास जमा बयान राशि/ प्रतिभूति निक्षेप को नयी निविदाओं के लिए बयाना राशि / प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नही किया जाएगा। तथापि , यदि निविदाओं को पुनः आंमत्रित किया जाता है तो बयाना राशि को उपयोग में लिया जा सकता है।

26. बयाना राशि का समपहरण :– बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहत कर लिया जाएगा :–

(i)जब निविदा दाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें उपान्तरण करता है।

(ii) जब निविदा दाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को, यदि कोई हो, निष्पादित नही करता हो।

(iii) जब निविदा दाता प्रदायगी के लिए आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

(iv) जब वह विहित समय के भीतर सप्लाई आदेश के अनुसार मदों की सप्लाई प्रारम्भ करने में असफल रहता हो।

27. (1) करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :– सफल निविदा दाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिन की अवधि के भीतर प्रारूप 17 में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सामानों (स्टोर्स) के लिए निविदाऐ स्वीकार की गयी है, उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से जिसकी निविदा के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, 15 दिन के भीतर जमा करायी जाएगी।

(2) निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

(3) प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नही किया जाएगा।

(4) प्रतिभूति राशि बैंकर चैंक /डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा ही स्वीकार होगी।

(5) एक समय पर खरीद के मामले में क्रय आदेश के अनुसार मदों की अंतिम सप्लाई से एक माह के भीतर तथा यदि सुपुर्दगी को सान्तर किया जाता है तो दो माह के भीतर उसके लिए संविदा के संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिए जाने के बाद या गारन्टी की अवधि, यदि कोई हो, के समाप्त होने के बाद जो भी बाद मे हो, तथा इससे सन्तुष्टि हो जाने पर कि निविदा दाता के विरूद्ध कोई देय बकायायें नही है, प्रतिभूति राशि का प्रतिदाय किया जाएगा।

।। केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होगें।

(6) प्रतिभूति निक्षेप का समपहृरण :– प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जायेगा।

(क) जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख) जब निविदादाता सम्पूर्ण सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(ग) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

28. समस्त शिक्षण सामग्री करौली जिलें के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थिति साक्षरता केन्द्रों पर गुड्स ट्रान्सपोर्ट के जरिये या स्वयं के वाहन द्वारा भाडा चुकाकर भेजा जायेगा।

29. बीमा :–

1 सामान गन्तव्य गोदाम पर सही दशा से सुपुर्द किए जाऐगे। यदि सप्लायर चाहे तो वह मूल्यवान सामान को चोरी, नाश या क्षय द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पडा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे–युद्ध, विद्रोह,दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किया जाएगा तथा यदि ऐसे व्यय किए जाते है तो राज्य से इन प्रभारो को भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

2 यदि क्रेता द्वारा चाहा गया हो तो क्रेता की लागत पर भी इन वस्तुओं का बीमा कराया जायेगा। ऐसे मामलों में बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा निगम या उसकी शाखाओं से काराया जाना चाहिए।

30. भुगतान :–

1 जब तक पक्षकारो के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाये सामान की सुपुर्दगी के लिए भुगतान निविदा दाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों केअनुसार बिल प्रस्तुत करने पर किया जावेगा तथा सभी प्रेषण प्रभार निविदा दाता द्वारा वहन किये जावेगे।

2 विवादास्पद मदो के सम्बन्ध में राशि के 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जावेगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जावेगा। 3 उन मामलों के सम्बन्ध में जिनमे परीक्षण करने की जरूरत है भुगतान तभी किया जावेगा। जब वे परीक्षण कर लिये जावेगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

31. (।) निविदा प्रपत्र में सुपुर्दगी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल निविदिदाता क्रेता अधिकारी से फर्म ऑर्डर के प्राप्त होने से अवधि के भीतर सप्लाई करेगा।

(।।) परिनिर्धारित क्षति :– परिनिर्धरित क्षति के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है।

(1) (क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5%

(ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए 5%

(ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनधिक के लिए 7.5%

(घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 %

(2) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम भाग को छोड दिया जाएगा।

(3) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 % होगी।

(4) यदि प्रदायकर्त्ता (सप्लायर) किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत माल सप्लाई को पूरा करने के लिए समय वृद्धि करना चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(5) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा निविदादाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

32. वसूलियॉ :– परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द की गई वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जावेगी। कम सप्लाई, टूट–फूट, रद्द किये गये मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है। तो परिनिर्धारित क्षय के साथ बसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूमि निक्षेप से की जायेगी। यदि वसूली करना सम्भव नही हो तो राजस्थान पी0डी0आर0 एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

33. यदि निविदा दाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तो के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उस निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जायेगा। किसी भी सूरत में इन में किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जावेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये। निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित नही किया गया हो।

34. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीहै स्वीकार करने, बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदा दाता ने निविदा दी है उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म /सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदो को वितरति करने के अधिकार को आरक्षित रखेगा।

35. निविदा दाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेंगा :–

1 यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेय की एक अभिप्रमाणित प्रति।

2 यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

3 एकमात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता व टेलीफोन नम्बर।

4 कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्टार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

5 संलग्न किये जाने वाले सभी आवश्यक दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होने चाहिए एवं सभी दस्तावेजो के मूल प्रति साथ में लावें।

36. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारो द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जावेगा जो उस विवाद के लिए एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से सम्बद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

37. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार द्वारा करौली मुख्यालय पर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जावेगी अन्यत्र पेश नही की जावेग।

38. तकनीकी निविदा प्रपत्र में क्र.सं. 1,2,4,5,6,8, की पूर्ति / प्रमाण अनिवार्य है। इसके अभाव में वित्तीय निविदा पर विचार नही किया जावेगा।

39. उद्योग विभाग से पंजीकृत एस.एस.आई. यूनिट्स को प्राथमिकता दी जावेगी।

40. 1. फर्म का भौतिक सत्यापन समिति द्वारा या अधिकृत सदस्य द्वारा किया जावेगा

41. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों में करौली जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित साक्षरता केन्द्रों तक शिक्षण सामग्री किट पहॅुचाने का परिवहन व्यय भी सम्मिलित है, अलग से परिवहन व्यय का भुगतान नही किया जावेगा। अतः साक्षरता केन्द्रों तक F.O.R. दरें उद्धृत करें।

42. लिफाफे पर जिस वस्तु/सामग्री की निविदा दी जावे उसका नाम लिफाफे के ऊपर लिखा जावे।

43. फर्म किसी संस्था /विभाग द्वारा ब्लेकलिस्टेड नही है।

44. तकनीकि निविदा में सफल होने पर ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा।

45. बयाना राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक, सचिव जिला साक्षरता समिति करौली के नाम दिया जावेगा।

हस्ताक्षर निविदा दाता